न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 130/2025 G.C.M.S. No. 2025/812 दर्ज दिनांक : 16.12.2025

अपीलार्थिगण:

1. भोमाराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासी गाँव चितलवाना तहसील चितलवाना जिला जालौर राजस्थान।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हंसाराम पुत्र रायमल जातियान मेघवाल साकिन रतनपुरा तहसील चितलवाना जिला जालौर राजस्थान।
2. कांतिलाल पुत्र वसाराम
3. खुमेश कुमार पुत्र वसाराम
4. भुराराम पुत्र सवा
5. भंवरलाल पुत्र वसाराम
6. महेन्द्र कुमार पुत्र वसाराम
7. माधाराम पुत्र वसाराम
8. मोहनलाल पुत्र वसाराम
9. रणछोड़ाराम पुत्र नेमाराम
10. राजो देवी पत्नी स्व. गंगाराम
11. वीराराम पुत्र वसाराम जातिगण कुम्हार प्रजापत निवासीगण चितलवाना तहसील चितलवाना जिला जालौर राजस्थान।
12. सीता पुत्री नेमाराम पत्नी रामाराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासी पांचला तहसील सांचौर जिला जालौर राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025 बअनवान हंसाराम बनाम कांतिलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025

पैरोकार:–

1. श्री भवानी सिंह जैतावत, श्री महिपाल सिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 15/2015 बअनवान हंसाराम बनाम कांतिलाल में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट / प्रार्थी के खातेदारी की भूमि सरहद मौजा ग्राम चितलवाना के खेत खसरा नंबर 4795/1259 रकबा 0.8600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की आयी हुई है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी को उक्त खेत में जाने के लिए नये रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए रास्ता अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 12 के खेत ग्राम चितलवाना के खसरा नंबर 1244, 1245, 1249 रकबा 2.3300 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम में से 12 फीट का रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अपीलाण्ट के खेत तक आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के पास उक्त खातेदारी के खेतो में आने जाने का कोई रास्ता नही है तथा इसी रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 12 को सम्मन प्रोपर तामिल नही हुए थे, जिसकी वजह से अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नही करवा सका। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के द्वारा मात्र तामिल की फॉर्मलटी के लिए रजिस्ट्री ए. डी. सम्मन भेजे एवं अंजान व्यक्ति से पूर्वनियोजित योजनाबद्ध तरीके से सभी अप्रार्थीगण के सम्मन पोस्टमेन से मिलावट कर हस्ताक्षर करवाये एवं नोटिस तामिल की अदायगी करके और ट्रेक रिपोर्ट पेश कर दी जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 12 में से किसी भी व्यक्ति को जरिये डाक तामिल नही हुए थे न ही इनके उक्त प्रार्थना पत्र मुकदमें की किसी प्रकार की कोई जानकारी थी जबकि वास्तविकता में तो रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 11 मधुराई मद्रास में अपने व्यापार एवं व्यवसाय से स्थायी रूप से वही रहते है जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को थी लेकिन उसने वास्तविक पते को छुपाया तथा अदम तामिल होने के बावजूद भी तामिल बता कर एक तरफा कार्यवाही की गई और मात्र तीन पेशी में ही निर्णय पारित कर दिया। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी / रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने मिलावट कर चुपके चुपके अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाया एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 12 को अपने हक अधिकारो से वंचित किया। इस प्रकार किसी भी अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामिल नही करवाया गया है एवं एक तरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने कृषि भूमि में पिछले 15 वर्ष पहले मकान बनाया था और उसमें ही स्थायी रूप से निवास करता है तथा पिछले 15 वर्षो से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पास में दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होने से उनका उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के कर रहा है, लेकिन हल्का पटवारी से मिलावट कर बाले बाले मौका रिपोर्ट गलत पेश करवाई है तथा मौका रिपोर्ट दोनो पक्षो की उपस्थिति में बनायी जानी चाहिए जो नही बनायी है। जबकि जहां अधिनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता घोषित किया है। उसी वैकल्पिक ए. से बी रास्ते के उपर अपीलाण्ट का वर्तमान में एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मकान, दो पक्के पानी के टाके व एक गोगाजी महाराज की चबूतरा बना हुआ है तथा इसी रास्ते की भूमि पर अपीलाण्ट की गाय भैसे (मवेशी) बांधने के लिए थान बने हुए है तथा सरकारी योजना के तहत अपीलाण्ट ने इसी रास्ते के भूमि पर नल कनेक्शन दिया हुआ है तथा मौके पर ट्यूबेल खुदा हुआ है। जिससे अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करता है। इतने सारे अलामात ए से बी बिन्दू के बीच में होने के बावजूद भी हल्का पटवारी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 प्रार्थी से मिलावट कर मौका रिपोर्ट गलत पेश की है तथा मौका पर रास्ता दिया जाना असंभव है। किसी प्रकार की फिजवल्टी नही है रेस्पोडेण्ट संख्या 01 प्रार्थी के पास में दो रास्ते में से एक रास्ता खसरा नंबर 1248 में स्थित है, जिसकी उपयोग उपभोग रेस्पोडेण्ट संख्या 01 बिना किसी बाधा अवरोद्ध के करता आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा रास्ता खसरा नंबर 1250 व 1259 मूल खसरे में पश्चिम दिशा में से आता जाता है। जो मौके पर रास्ता मौजूद है तथा इसी रास्ते से पिछले 80 वर्षो से भी अधिक समय से इस रास्ते से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का निर्बाध रूप से आना जाना होता है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट प्रार्थी के पास में दो रास्ते उपलब्ध होने के बावजूद भी हल्का पटवारी ने अपीलाण्ट को नुक्सान कारित करने एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को फायदा पहुंचाने की नियत से दो रास्ते होने के बावजूद भी रिपोर्ट में दो रास्ते नही बताए है, अपीलाण्ट के मौके पर ए से बी बिन्दू के बीच में रहवासी मकान वगैरा सभी बने हुए है जिनको गिरा कर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को रास्ता दिया जाना संभव नही है तथा अपीलाण्ट को सुनवाई समुचित अवसर नही दिया गया है। जिसकी वजह से अपीलाण्ट अपने हक हकूक एवं अधिकारो से वंचित हो गया है। जबकि विधि विधान के अनुसार अप्रार्थीगण को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दोनो पक्षो को अपने अपने पक्ष रखने के पश्चात् निर्णय पारित विधिसम्वत् करना चाहिए जो नही करके विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए, अधिनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 05 ने सरहद मौजा चितलवाना के खसरा नम्बर खसरा नंबर 4795/1259 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलण्ट्स की आराजी खसरा नम्बर 1244, 1245 1249 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 1249 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी 4795/1259 तक पहुच के लिए अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1244, 1245 व 1249 में से रास्ते की मांग की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि अवाप्ति अधिकारी नर्बदा नहर परियोजना का भूमि अवाप्ति का नक्शा व मुआवजा के विवरण से स्पष्ट है कि 1249 के मध्य से नर्बदा नहर हेतु भूमि अवाप्त होकर नहर चलायमान है तथा नहर के किनारे किनारे रास्ता नहरी भूमि में चलायमान है। उक्त नहर भू–अभिलेख में दर्ज एवं तरमीमसुदा है। प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षण चितलवाना द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी, जो धारा 251क के लिए सक्षम अधिकारी है। उक्त मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा एवं प्रभावित आराजी के भू–नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी के ठीक उत्तर में खसरा संख्या 1249 स्थित है जिसमें से नर्बदा नहर चलायमान एव दर्ज रिकॉर्ड है। नहर किनारे चलायमान रास्ते से खसरा संख्या 1249 की पूर्वी सीमा के सहारे ए से बी के रूप मे 04 मीटर चौडा व 30 मीटर लम्बा रास्ता भूअनि द्वारा प्रस्तावित किया गया। भू–नक्शा के अवलोकन से भी प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग के लिए एकमात्र निकटतम दुरी का विकल्प है। भू.अ.नि की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मौके पर अपीलांट उपस्थित था तथा मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गयी किन्तु अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। भू नक्शा व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए कोई पहुच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा रास्ते की मांग आत्यत्तिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की आराजी के ठीक 30 मीटर की दूरी पर नर्बदा नहर के समानान्तर नहरी भूमि पर चलायमान रास्ता है। जो कि खसरा संख्या 1249 में से निकटतम दूरी का एकमात्र विकल्प है।

3. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 12 की समूचित तामिली नहीं हुयी। इसके बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं है, के सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत डाक से प्रेषित सम्मन की ट्रेक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को पंजीकृत डाक से सम्मन प्रेषित किए गए जो कि अप्रार्थीगण को डिलीवर हुए। अतः तामिल विधिवत है एवं तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। जो विधिसम्मत हैं। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग पहले से मौजुद होने का उज्र लेते हुए रास्ते का अभाव नहीं होना अंकन किया है के संबंध में हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह विश्वास किया जाए कि प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग मौजुद है। साथ ही भू नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है।

5. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालोर

आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2015 बउनवान हंसाराम बनाम कांतिलाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर त्रिवेदी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली